राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 4508/2024

श्वेता शुक्ला

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन–सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, गंगरार।
5. प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंगरार।
6. संगीता जिंगर, वरिष्ठ अध्यापक हिन्दी, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्टेशन गंगरार।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.12.2024
आदेश की दिनांक : 15.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलिम खान, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अधिशेष अध्यापकों का समायोजन करने के उद्देश्य से प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 06.12.2024 पारित किया था, जिसमें अपीलार्थी को उसके वर्तमान विद्यालय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्टेशन गंगरार में ही समायोजित किया गया था। इस आदेश के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–6 को रा.बा.उ.मा.वि. तुम्बाड़िया, गंगरार से रा.बा.उ.मा.वि., स्टेशन रोड़, गंगरार स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार विषय हिन्दी के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर एक ही विद्यालय में दो अध्यापकों पदस्थापन हो गया। अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 06.12.2024 की पालना में कार्यमुक्त होकर पुनः उसी विद्यालय में कार्यग्रहण कर लिया। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के संबंध में एक अन्य आदेश दिनांक 19.12.2024 (अनुलग्नक–1) पारित कर अपीलार्थी का स्थानांतरण रा.बा.उ.मा.वि., स्टेशन गंगरार से

रा.उ.मा.वि., भटवाड़ा कलां, गंगरार किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को पूर्व में उसी विद्यालय में समायोजित किया गया था, जिस आदेश की पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण भी कर लिया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश पारित अपीलार्थी का अल्पावधि में स्थानांतरण किया गया है, जो निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की गरज से किया गया है।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी वर्तमान विद्यालय में वर्ष 2020 से पदस्थापित है। अपीलार्थी को चूंकि पूर्व में अधिशेष माना गया है, ऐसे में अपीलार्थी को नवीन विद्यालय में पदस्थापित किया जाना गलत होना नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी का अल्प समय में पदस्थापन होना भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा उसी विद्यालय से कार्यमुक्त होकर पुनः उसी विद्यालय में कार्यग्रहण किया गया था। ऐसे में स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। ऐसे में अपीलार्थी का आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा किया गया समायोजन स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में हम अपीलार्थी के इस तर्क में बल होना नहीं पाते हैं कि अपीलार्थी का अल्पसमय में स्थानांतरण किया गया हो। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकताओं में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक लिया गया निर्णय विधि–विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)